मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2010—आश्विन 16, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्र. ई. 5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस, प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को दिनांक 20 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2010 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 सितम्बर तथा 2, 3 अक्टूबर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्र. ई. 5-799-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जगदीश शर्मा, आयएएस, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 26 से 30 अगस्त 2010 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जगदीश शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीश शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-844-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. के. सिंह, आयएएस., तत्कालीन संयुक्त आयुक्त विकास, आयुक्त कार्यालय को दिनांक 2 से 7 जनवरी 2010 तक छ: दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री ए. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्र. ई. 5-802-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस., अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को दिनांक 9 से 11 जून 2010 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई. 5-846-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनू तिवारी, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 16 अगस्त से 12 सितम्बर 2010 तक अट्ठाइस दिन लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2010

क्र. एफ-6-10-2010-सं.-तीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-6-10-97-सं.-तीस, दिनांक 10 मार्च 1999, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-एक) दिनांक 9 अप्रैल 1999 को प्रकाशित हुई है, के अनुक्रम में संशोधन करता है कि इस अधिसूचना के द्वितीय पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जावे:—

"अतएव, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1976 के नियम 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा में 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र की खनन क्रिया और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है.".

No. F-6-10-2010-C-XXX.—The State Government hereby, in continuation of the Department's Notification No. F-6-10-97-Cul.-99, dated 10th March 1999, which was published in Madhya Pradesh Gazette (Part-1) on 9th April 1999 makes the amendment that the second para of the said notification be read as following:

"THEREFORE in exercise of the powers conferred by the rule 29 of Madhya Pradesh Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1976 the State Government hereby declare the areas upto 100 meters and further beyond it upto 200 meters from the protected limits near or adjoining all the protected monuments of the state.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीना वर्मा, उपसचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्र. एफ-9-1-2008-अट्ठावन.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल ऑफ ऐसोसियेशन, 1996 के आर्टिकल 74(ए) 76 तथा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के स्थान पर श्री रामकिशन चौहान, रायसेन को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी दो वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. तंवर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2010

फा. क्र. 1(बी)-15-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, सुश्री विजया कदम पुत्री श्री डी. आर. कदम, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के अति. लोक अभियोजक होशंगाबाद नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-15-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री भानु प्रकाश तिवारी पुत्र स्व. श्री विमलकांत तिवारी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के अति. लोक अभियोजक सोहागपुर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-15-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश, दिनांक 18 अक्टूबर 2004 द्वारा नियुक्त श्री राजीव शुक्ला, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, होशंगाबाद सत्र खण्ड के सोहागपुर राजस्व जिले के होशंगाबाद का कार्यकाल दिनांक 18 जून 2008 से तीन वर्ष 17 जून 2011 तक वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्र. एफ-3-106-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23-''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-106-2009-बत्तीस, दिनांक 31 मार्च 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित कटनी विकास योजना 2021 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम अमकुही	264/2क	90 हेक्टेयर	पहाड़ी एवं वृक्षारोपण	औद्योगिक
		योग . .	90 हेक्टेयर		

(2) उपरोक्त उपांतरण कटनी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश, ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

''ऊर्जा भवन'' मुख्यमार्ग क्र. 2, शिवाजी नगर,
भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्र. ऊविनि-स्था.-2010-213.—मध्यप्रदेश, ऊर्जा विकास निगम लि. के अध्यक्ष पद पर माननीय श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया जी द्वारा मध्यप्रदेश शासन अपरम्परागत ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-11-2010-साठ-369, दिनांक 21 सितम्बर 2010 के तारतम्य में आज दिनांक 22 सितम्बर 2010 पूर्वाह्न से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है. उनका कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन की प्रति मूलत: संलग्न कर आपकी ओर सादर प्रेषित है.

विजय सिंह चौहान, अति. कार्यपालन यंत्री,
(प्रभारी प्रशासन कक्ष)

कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन

मध्यप्रदेश शासन, अपरम्परागत ऊर्जा विभाग के आदेश क्र. एफ-2-11-2010-साठ-369, दिनांक 21 सितम्बर 2010 के पालन में मैंने मध्यप्रदेश, ऊर्जा विकास निगम लि. के अध्यक्ष की हैसियत से अपना कार्यभार आज दिनांक 22 सितम्बर 2010 पूर्वाह्न में ग्रहण कर लिया है.

विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश, ऊर्जा विकास निगम, लि.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन
58 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्र. एफ-67-06-08-तीन-2669.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6 जून 97 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2007 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत ओंकारेश्वर, जिला खण्डवा** के निर्वाचन में **श्री राकेश पिता सुकाजी नायक,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत ओंकारेश्वर, जिला**

खण्डवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 24-12-2007 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 23-1-2008 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के पत्र क्र. 135/स्था.नि./न.पंचा./08, दिनांक 2 अप्रैल 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री राकेश पिता सुकाजी नायक** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री राकेश पिता सुकाजी नायक** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5-5-2008 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के माध्यम से दिनांक 19-5-2008 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री राकेश पिता सुकाजी नायक को नोटिस दिनांक 19-5-2008 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 3-6-2008 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, खण्डवा ने अपने पत्र दिनांक 30-4-2010 में लेख किया कि "**श्री राकेश पिता सुकाजी नायक** के द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 20-8-2010 को **श्री राकेश पिता सुकाजी नायक** को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर आयोग कार्यालय में दिनांक 9-9-2010 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हुए. उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन एवं निर्वाचन व्यय लेखे का रजिस्टर प्रस्तुत करते हुए अभ्यावेदन में लेख किया कि "**राकेश नायक पिता सुकाजी नायक** निवासी ओंकारेश्वर जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में उम्मीदवार था जिसका परिणाम 24-12-2007 को घोषित हुआ था. जिसका मुझे व्यय लेखा प्रस्तुत करना था. जो कि मैं लिपिक वर्ग की हड़ताल के कारण जमा नहीं कर पाया अन्यथा अन्तीम तारीख निकलने की वजह से व्यय लेखा जमा नहीं हो पाया इस संबंध में मुझे निर्वाचन आयोग कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद मैं दिनांक 9-9-2010 को चुनाव व्यय पुस्तिका जमा करने कार्यालय निर्वाचन आयोग पहुंचा हूं.". अभ्यर्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि वे विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं. उनके द्वारा प्रस्तुत कारण संतोषप्रद नहीं पाए गए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री राकेश पिता सुकाजी नायक** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत ओंकारेश्वर, जिला खण्डवा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 5 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

प्र. क्र. 4-अ-82-09-10-भू-अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	मद/लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	भिडारीकला, प.ह.न. 4, न.ब.	ट्यूबवेल (0.30 हेक्टे. में निर्मित)	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1, पनागर.	मदना वितरण नहर की उपशाखा एम3, एल1 निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 2, रानी अवंतीबाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2010

प्र. क्र. 7-अ-82-09-10-भू-अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	जुनवानीकला, प.ह.न. 76, बन्दो. नं. 276	0.07	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 4, सिहोरा.	लमकना वितरक नहर की जुनवानी कला माइनर नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 2, रानी अवंतीबाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

प्र. क्र. 5-अ-82-09-10-भू-अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	सुनाचर, प.ह.न. 44, बन्दो.नं. 432.	0.18	कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई लोधी सागर बांयी तट नहर संभाग क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर.	बेलखेड़ी टेल माइनर

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 2, रानी अवंतीबाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 6-अ-82-09-10-भू-अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	देवरीकला, प.ह.न. 46, नं.बं. 329/331	कुआं एवं बोर (0.10 हेक्टे. में निर्मित)	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 4, सिहोरा.	देवरीकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 2, रानी अवंतीबाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 31 अगस्त 2010

प्र.क्र. 13-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	रैपुरा	निजी 0.160	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर.	पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु रैपुरा तरफ 0.160 हे. भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) सचिव, कृषि उपज मण्डी, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्र. 25-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	आंतरी	25.708	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 26-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	एराया	29.328	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 28-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	जौरासी	6.898	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 10 सितम्बर 2010

प्र. क्र.-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है. राज्य शासन यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	सिरोंज	प्यासी	0.253	भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज	लोक निर्माण विभाग अंतर्गत अनूपपुर महाराजपुर चौराहा से चौपना-प्यासी झण्डवा मार्ग के निर्माण हेतु.
		योग :	0.253		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—अनूपपुर महाराजपुर चौराहा से चौपना-प्यासी झण्डवा मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-570.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण हेक्टर में			अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			शासकीय	निजी	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	सुसनेर	देवपुर	-	14.06	14.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर.	पीलिया खाल बांध नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्र. 2155-भू-अ.अ.-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	बगलवारा	27.03	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	कुसमी जलाशय के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा (दमोह) एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 21 सितम्बर 2010

प्र.क्र. 7-अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-7180.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आमला	केदारखेड़ा	0.680	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	रमली सांवरिया जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र.क्र. 8-अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-7179.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आमला	रमली	2.010	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	रमली सांवरिया जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र.क्र. 9-अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-7181.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आमला	कमली	0.801	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	रमली सांवरिया जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्र. 2692-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	गेहण्डी	2.49	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बॉध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.).	माही परियोजना की गेहण्डी माईनर नहर निर्माण हेतु.
			योग : 2.49		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2694-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	छायनपूर्व	5.94	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.).	माही परियोजना की छायनपूर्व उपमाईनर नहर निर्माण हेतु.
			योग : 5.94		

क्र. 2696-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	केशरपुरा	0.52	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.).	माही परियोजना की करवड़ माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग	: 0.52		

क्र. 2698-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	गोविन्दपुरा	1.53	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.).	माही परियोजना की नवापाड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग	: 1.53		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. 14237-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	उटावद	1.049	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार.	मंदावती तालाब की मुख्य नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
		बेचकुआ	0.310		
		रालामण्डल	0.205		
		बैलाली	0.037		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, जिला धार (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 14253-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धरमपुरी	बासवीं	1.252	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार.	नया खोखरिया तालाब निर्माण से डूब प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, जिला धार (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्र. 14276-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कुवाड़	0.437	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर.	किसान तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 14280-भू-अर्जन-2010.चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	सुलीबर्डी	5.102	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर.	किसान तालाब मुख्य बांध निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. 1016-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	आमडाड़ 44	0.215	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)	बाणसागर लोवर सिहावल के अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1018-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	घटोखर	0.315	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)	बाणसागर लोवर सिहावल के अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1020-भू-अर्जन-06-07—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	कोटर कोठार	13.90	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1022-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	कुआं कोठार	0.320	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1024-भू-अर्जन-06-07—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 4 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पवैया	1.277	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
			योग : 1.277		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1026-भू-अर्जन-06-07—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 4 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बारी खुर्द	0.050	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
			योग : 0.050		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1028-भू-अर्जन-06-07—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम 4 के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	रंगौली	0.873	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग :	0.873		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1030-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुरबघेलान	अबेर कोठार	4.223	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की मुख्य नहर एवं शाखा नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग :	4.223		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्र. 1042-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	जामू	2.48	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.)	सिरमौर वितरक नहर के शाहपुर माइनर नहर 2.48 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पतियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1044-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	लभौली	0.576	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.)	सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत मुडियारी माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1046-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पाली	2.248	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.)	सिरमौर वितरक नहर के शाहपुर माइनर नहर 2.248 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्र. 9176-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—नांदपुर प.ह.नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.73. हेक्टेयर

खसरा नम्बर में से (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
79	0.15
81/2	0.28
82	0.08
83	0.04
84	0.08
61/2	0.30
60/5	0.05
60/2	0.08
60/8	0.09
60/9	0.28
58	0.40
56/1	0.15
42	0.04
40	0.28
29	0.27
30	0.16
योग . .	2.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—छोटी रानगिर जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्र. 1 अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) नगर/ग्राम—इटवा, दुपारिया, पिपरिया, दिगम्बर, हिरदेपुर, पिपरियानायक.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.56 हेक्टेयर

खसरा नंबर (1)	रकबा नंबर (2)	
	ग्राम—इटवा	
6	0.04 में से	40×100=4000 वर्गफुट
	ग्राम—इटवा	
8	0.12 में से	40×85=3400 वर्गफुट
9	0.02 में से	20×25=500 वर्गफुट
योग	0.22 है.	7900 वर्गफुट
	ग्राम—दुपारिया	
48	0.05 में से	10×103=1300 वर्गफुट
59/2	0.08 में से	5×100=500 वर्गफुट
90/1	0.47 में से	10×130=1300 वर्गफुट
90/3	0.40 में से	10×134=1340 वर्गफुट
90/2	1.21 में से	10×480=4800 वर्गफुट
योग	2.21 है.	=9240 वर्गफुट
	ग्राम—पिपरिया	
137/3	0.61 में से	8×400=3200 वर्गफुट
	ग्राम—दिगम्बर	
137/4	0.32 में से	8×120=960 वर्गफुट
135	1.79 में से	10×460=4600 वर्गफुट

(1)	(2)	
134/2	1.84 में से	10×200=2000 वर्गफुट
138/4	0.45 में से	5×200=1000 वर्गफुट
141/2	0.76 में से	5×666=3330 वर्गफुट
142	1.64 में से	5×260=1300 वर्गफुट
144	0.59 में से	5×170=850 वर्गफुट
149	0.30 में से	5×170=850 वर्गफुट
150	0.37 में से	5×180=900 वर्गफुट
151	0.46 में से	5×220=1100 वर्गफुट
योग	9.17 है.	=19240 वर्गफुट

ग्राम—हिरदेपुर

39/10 क	0.809 में से	30×400=12000 वर्गफुट
योग	0.809 है.	=12000 वर्गफुट

ग्राम—पिपरियानायक

2	1.20 में से	15×264=3960 वर्गफुट
4	0.45 में से	7×210=1470 वर्गफुट
5	0.22 में से	7×70=490 वर्गफुट
6/2	0.65 में से	7×180=1260 वर्गफुट
6/1	0.65 में से	7×135=945 वर्गफुट
7/1	0.35 में से	7×80=560 वर्गफुट
7/2	0.35 में से	7×65=455 वर्गफुट
7/3	0.36 में से	7×120=840 वर्गफुट
9	0.97 में से	30×860=25800 वर्गफुट
10	0.61 में से	25×400=10000 वर्गफुट
11	0.63 में से	15×360=5400 वर्गफुट
13/1	1.30 में से	25×400=10000 वर्गफुट
13/2	1.29 में से	25×400=10000 वर्गफुट
22/1	0.21 में से	20×165=3300 वर्गफुट
24	0.19 में से	25×178=4450 वर्गफुट
25	0.10 में से	35×70=2450 वर्गफुट
26	0.20 में से	35×110=3850 वर्गफुट
30	0.33 में से	35×330=11550 वर्गफुट
77	0.29 में से	20×123=2460 वर्गफुट
79	0.35 में से	20×124=2480 वर्गफुट
72/1	0.22 में से	5×240=1200 वर्गफुट
71/2	0.26 में से	20×260=5200 वर्गफुट
68	2.77 में से	5×990=4950 वर्गफुट
64	0.21 में से	10×100=1000 वर्गफुट
65/1	0.45 में से	10×250=2500 वर्गफुट
65/2	0.20 में से	10×50=500 वर्गफुट
66	0.87 में से	5×330=1650 वर्गफुट
63	0.15 में से	10×118=1180 वर्गफुट
58	0.43 में से	10×250=2500 वर्गफुट
57	0.18 में से	15×140=2100 वर्गफुट
54	0.16 में से	15×105=1575 वर्गफुट
53	0.07 में से	25×60=1500 वर्गफुट
56	0.15 में से	10×80=800 वर्गफुट
67	1.81 में से	5×365=1825 वर्गफुट
74/1	1.47 में से	10×50=500 वर्गफुट
74/2	0.53 में से	10×50=500 वर्गफुट
74/3	0.40 में से	10×50=500 वर्गफुट
72/2	0.63 में से	10×260=2600 वर्गफुट
योग	22.47 हे. में से 2.81 डि=122235 वर्गफुट	
कुल योग	1.56हे./ 3.90 एकड़ =171465 वर्गफुट	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—साहू तिगड्डा इटवा खुर्द हिरदेपुर मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) इसमें जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 सितम्बर 2010

क्र. 926-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—पुतरिहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.035

खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)
102	0.035
योग . .	0.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प क्र. 928-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—पड़रिया खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.075

खसरा नं.	रकबा (है. में)
(1)	(2)
47	0.075
योग . .	0.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. 1010-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—जुरौट जं. नं. 181

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.074 हैक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (है. में)
(1)	(2)
875	0.050
940	0.024
योग . .	0.074

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की जुरौट माइनर की निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1012-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिरसौर

(ग) नगर/ग्राम—संसारपुर ज.नं. 538

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.113 हैक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)
1160	0.012
1161	0.101
महायोग 2 किता	योग . . 0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की संसारपुर माइनर की निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1014-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—फूल नं. 1, जं. नं. 330

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.032 हैक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)
320	0.032
योग . .	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की खैरा माइनर की निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 20 सितम्बर 2010

क्र. 2649-भू-अर्जन-2010-राजस्व-प्रकरण-क्रमांक-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) मकानों का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) ग्राम—धोलीखाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4052.28 वर्गमीटर.

सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
58	49.66
58	119.00
58	22.14
58	48.88
58	93.75
58	50.00
58	41.60
58	12.15
58	42.47
58	52.41
58	40.02
58	48.60
58	35.36
58	73.32
58	57.00
58	117.70
58	27.50
58	24.00
58	54.76
58	30.82
58	42.60
58	71.00
58	33.00
58	33.00
58	36.43
58	54.50
58	57.00
58	88.92
58	33.06
58	32.50

(1)	(2)
58	22.80
58	115.16
58	42.00
58	62.16
58	36.96
58	24.96
58	41.25
58	72.00
58	52.80
58	42.00
58	50.79
58	100.33
58	79.00
58	45.10
58	63.40
58	76.22
58	37.74
58	52.80
58	13.72
58	79.50
58	21.00
58	33.63
58	14.75
58	137.75
58	46.40
58	32.13
58	42.33
58	74.75
58	95.00
58	100.30
58	37.50
58	33.50
58	33.50
58	31.20
58	56.70
58	34.50
58	32.90
58	28.00
58	69.00
58	25.90
58	35.50
58	26.00
58	75.68
58	84.00
58	43.20
58	24.00
58	62.80
58	46.48
58	40.04
योग . .	4052.28

क्र. 2651-भू-अर्जन-2010-राजस्व-प्रकरण-क्रमांक-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) मकानों का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) ग्राम—केसरपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3397.35 वर्गमीटर.

सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
52/1	56.24
52/1	25.92
52/1	45.32
52/1	94.50
52/1	86.17
52/1	56.97
52/1	55.36
52/1	34.84
52/1	86.11
52/1	123.92
65	158.46
65	80.90
65	139.12
65	108.90
68	73.87
68	88.29
68	21.00
68	58.85
68	41.16

(1)	(2)
68	108.92
70	44.72
70	41.25
70	33.33
70	132.15
70	119.12
70	105.60
72	30.50
72	68.40
72	96.00
72	136.99
72	134.40
72	33.63
103	43.44
103	124.00
103	110.90
103	127.28
103	119.36
103	104.52
103	109.48
103	91.40
103	46.06
योग . .	3397.35

क्र. 2653-भू-अर्जन-2010-राजस्व-प्रकरण-क्रमांक-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) मकानों का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) ग्राम—सुखनेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5111.86 वर्गमीटर.

सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
341	79.71
341	83.43
341	43.00
341	51.24
341	52.75
341	109.10
341	56.95
341	32.08
341	62.15
341	113.74
341	103.70
341	53.03
341	10.80
341	20.50
341	46.40
341	36.20
341	112.64
341	149.60
341	67.20
341	94.95
341	54.02
341	60.90
341	33.39
341	46.80
341	103.50
341	35.52
341	109.68
341	68.00
341	74.20
341	57.00
341	45.92
341	91.09
341	38.67
341	116.00
341	84.00
341	95.76
341	102.60
341	95.77
341	51.20
341	53.50
341	39.90
341	22.40
341	81.54
341	96.86
341	106.13
341	210.24
341	54.27
341	84.67

(1)	(2)
341	88.04
341	42.00
341	24.84
341	22.10
341	133.06
341	96.00
341	38.48
341	54.44
341	140.42
341	14.56
341	50.56
341	56.44
341	68.68
341	22.44
341	5.40
341	80.24
341	59.78
341	64.06
341	72.61
341	77.40
341	56.24
341	70.55
341	46.86
341	68.49
341	88.40
341	76.26
341	0.81
योग . .	5111.86

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्र. 13006-अ-82-वर्ष 2009-10-प्रकरण क्रमांक-06-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—होशंगाबाद
(ख) तहसील—सिवनी मालवा
(ग) नगर/ग्राम—बराखड खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.623 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
227 में से	0.161
231 में से	0.405
179 में से	0.161
159 में से	0.283
161 में से	0.243
145/1 में से	0.149
145/3 में से	0.081
138/1 में से	0.222
143 में से	0230
142 में से	0.190
109 में से	0.595
102 में से	0.445
99 में से	0.222
48 में से	0.170
51 में से	0.214
100/2 में से	0.166
100/3 में से	0.190
219/3 में से	0.061
100/1 में से	0.235
222/1 में से	0.041
100/4 में से	0.068
222/5 में से	0.041
222/3 में से	0.041
योग . .	4.623

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिवनी मालवा वायपास मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी मालवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 13008-अ-82-वर्ष 2009-10-प्रकरण क्रमांक-07-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—होशंगाबाद
(ख) तहसील—सिवनी मालवा
(ग) नगर/ग्राम—बराखड कलॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.818 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
123	0.049
124 में से	0.303
126 में से	0.073
125 में से	0.053
127 में से	0.340
128 में से	0.760
138 में से	0.113
201 में से	0.251
205 में से	0.089
206 में से	0.178
239 में से	0.012
246 में से	0.526
248 में से	0.550
260/2 में से	0.081
264/1 में से	0.089
264/2 में से	0.089
266/3 में से	0.121
262/1 में से	0.121
139 में से	0.020
योग . .	3.818

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिवनी मालवा वायपास मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी मालवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 13009-अ-82-वर्ष 2009-10-प्रकरण क्रमांक-08-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—होशंगाबाद
(ख) तहसील—सिवनी मालवा
(ग) नगर/ग्राम—दमाडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.269 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
142/2 में से	0.405
89/1 में से	0.298
90/1 में से	0.182
90/3 में से	0.125
93/1 में से	0.425
94 में से	0.263
95/2 में से	0.041
95/1 में से	0.530
योग . .	2.269

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिवनी मालवा वायपास मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी मालवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 13010-अ-82-वर्ष 2009-10-प्रकरण क्रमांक-09-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—होशंगाबाद
(ख) तहसील—सिवनी मालवा

(ग) नगर/ग्राम—धपाडिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.200 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
131 में से	0.303
133 में से	0.105
135 में से	0.202
137 में से	0.072
139 में से	0.061
67 में से	0.061
68 में से	0.020
70 में से	0.639
86 में से	0.121
71 में से	0.089
85/1 में से	0.032
83 में से	0.202
75 में से	0.202
77 में से	0.162
72 में से	0.048
74 में से	0.109
56 में से	0.105
52 में से	0.149
54 में से	0.041
8/2 में से	0.032
9 में से	0.243
7 में से	0.202
योग . .	3.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिवनी मालवा वायपास मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी मालवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 13012-अ-82-वर्ष 2009-10-प्रकरण क्रमांक-10-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—होशंगाबाद

(ख) तहसील—सिवनी मालवा

(ग) नगर/ग्राम—बानापुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.546 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
410-411-412 में से	0.405
397 में से	0.202
399/1 में से	0.161
398 में से	0.048
378 में से	0.360
394/1 में से	0.202
394/3 में से	0.361
253/6 में से	0.263
253/8 में से	0.263
254/3-254/4 में से	0.243
254/5-254/8 में से	0.303
254/9 में से	0.222
254/6 में से	0.283
254/7 में से	0.081
255/3-255/8 में से	0.081
258/6 में से	0.344
258/4 में से	0.182
258/5 में से	0.097
258/22 में से	0.121
259/3 में से	0.252
261/3 में से	0.032
390/11 में से	0.040
योग . .	4.546

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिवनी मालवा वायपास मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी मालवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 21 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 7-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) नगर/ग्राम—द्वारिकागंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.110 हेक्टेयर.

फार्म-एक (3)

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर आर.डी. 72.88 कि.मी. से 110 कि.मी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक का कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा
(1)	(2)	(3)
338 मि.-1	0.290	0.25
338 मि.-2	0.100	0.100
336	0.350	0.01
337	0.200	0.02
342	0.320	0.32
346	0.560	0.340
347	1.080	0.410
352	0.800	0.330
353 मि.-1	0.640	0.390
382	2.010	1.05
396	3.340	0.17
397	1.400	0.36
398	1.400	0.52
355	1.050	0.38
354	1.080	0.74
349	0.450	0.160
348	0.450	0.14
344	0.450	0.13
328	0.620	0.020
339	0.040	0.040
343	0.230	0.230
387	1.770	0.90
356	0.580	0.16
343/426	0.360	0.29
421	1.090	0.760
340	0.04	0.02
341	0.67	0.03
399	4.96	1.30
401	0.49	0.49
394 मि-3	0.84	0.61
393	1.34	0.72
391	3.14	0.02
380	0.84	0.12
388	1.14	0.58
	योग . .	12.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्र. 10780-भू-अर्जन-04.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—नरसिंहगढ़, झाडला, हीकमी, ढाबला मार्ग

(ग) नगर/ग्राम—झाडला, खलेली, आवंली, हीकमी, ढाबला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.736 हे.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—झाडला	
394/1	0.063
432	0.038
589/2	0.076
394/2	0.076
431/2	0.063
433	0.089
434	0.007
435/2/1	0.038
435/2/2	0.101
440	0.139
442	0.570
441	0.089
464/1/2	0.190
451/2	0.152
451/1/2	0.063
451/1/4	0.063
454	0.177
464/2	0.114
470	0.089
471/1	0.076
487/1	0.025
587/3	0.063
589/1/1	0.026
589/1/2	0.038
591/1/1	0.025
591/1/2	0.063
591/1/3	0.076
योग . .	2.589
ग्राम—खलेली	
235/2	0.101
237/1	0.202
237/2	0.090
247/2	0.190
247/1	0.038
248	0.063
250	0.089
251/2	0.089
252	0.163
299/253	0.013
254	0.370
256/1	0.260
268	0.340
269/1	0.030
269/1/2	0.038
269/2	0.065
270/2	0.089
271	0.038
271/298	0.101
273	0.163
214/1	0.070
274	0.096
योग . .	2.698
ग्राम—आवंली	
6	0.038
8/1	0.038
योग . .	0.076
ग्राम—हिकमी	
19	0.076
21	0.063
22/2	0.063
27	0.076
23	0.063
30	0.038
24/1	0.051

(1)	(2)
24/2	0.013
29	0.152
32	0.114
33	0.076
265	0.063
37	0.114
277	0.063
278	0.114
38	0.139
76	0.038
43	0.101
74/1/7	0.139
77	0.089
78	0.063
106	0.303
107/1	0.152
107/2	0.152
107/3	0.063
107/4	0.063
107/5	0.025
193/1/1	0.025
244	0.089
245	0.089
246	0.089
247/1	0.025
247/2	0.051
266	0.126
267	0.025
269/1	0.038
273	0.013
274	0.038
275/1	0.013
275/2	0.101
276	0.063
279	0.076
294/2	0.013
307	0.013
442/1/1	0.101
294/1	0.013
295	0.063
296	0.063
400	0.013
403	0.152
404	0.013
442/1/2	0.252
443	0.038
444	0.470
445/1	0.350
445/2/2	0.150
445/3/2/2	0.152
445/3/2/1	0.101
280/1/1	0.013
280/1/2	0.013
280/2	0.013
योग . .	5.324

ग्राम—ढाबला

690	0.063
691/1	0.089
924	0.063
689	0.025
711/1	0.051
711/2	0.051
942/1	0.089
712/1	0.013
931/1	0.126
941/1	0.030
942/2	0.038
712/2	0.013
931/2	0.013
941/2	0.030
716	0.038
717/2	0.089
718/1	0.038
718/2	0.051
718/3	0.051
914/3/1	0.063

(1)	(2)
914/3/2	0.190
914/4	0.038
923/1	0.089
923/2	0.076
932	0.152
938/1	0.063
939	0.063
946	0.063
947	0.051
948	0.076
943/3	0.063
945	0.101
योग . .	2.049
महायोग . .	12.736

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—झालडा-हिकमी-ढाबला मार्ग के निर्माण हेतु (PWD).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनु. अधि. राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10782-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (अताईखेड़ा तालाब निर्माण हेतु नहर निर्माण एवं शीर्ष कार्य में शेष बची भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—अताईखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.971 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
नहर में प्रभावित भूमि	
ग्राम-अताईखेड़ा क्षेत्रफल 2.806 हेक्टेयर	
299/1 में से	0.178
148/3 में से	0.090
147 में से	0.116
144 में से	0.068
143 में से	0.135
130 में से	0.060
129/2 में से	0.120
129/1 में से	0.105
57/4 में से	0.396
57/3/2 में से	0.090
51 में से	0.100
52/1 में से	0.034
53 में से	0.090
54/2 में से	0.190
54/1 में से	0.106
57/5 में से	0.192
57/6 में से	0.075
57/7 में से	0.038
60 में से	0.125
61 में से	0.125
57/2 में से	0.190
55 में से	0.183
बांध के डूब में शेष बची प्रभावित भूमि	
ग्राम-अताईखेड़ा क्षेत्रफल 1.165 हेक्टेयर	
37/7/2/1 में से	0.209
37/1/5/1 में से	0.191
431	0.114
37/9/2/1 में से	0.638
432	0.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अताईखेड़ा तालाब के नहर निर्माण एवं शीर्ष कार्य के पूरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 009-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—रैपुरा

(ग) ग्राम—किशन पाटन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.00 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
730	0.27	निजी भूमि
734	0.11	निजी भूमि
748	0.17	निजी भूमि
747	0.06	निजी भूमि
753	0.03	निजी भूमि
755	0.21	निजी भूमि
756	0.28	निजी भूमि
731	0.17	निजी भूमि
732	0.01	निजी भूमि
733	0.03	निजी भूमि
525	1.60	निजी भूमि
735	0.23	निजी भूमि
742/2	0.15	निजी भूमि
750	0.20	निजी भूमि
751	0.12	निजी भूमि
752	0.10	निजी भूमि
754	0.05	निजी भूमि
736	0.15	निजी भूमि
737	0.06	निजी भूमि
738	0.42	निजी भूमि
739	0.03	निजी भूमि
740	0.20	निजी भूमि
749	0.33	निजी भूमि
729	0.29	निजी भूमि
745	0.04	निजी भूमि
746	0.07	निजी भूमि
728	0.25	निजी भूमि
757	0.48	निजी भूमि
758	0.05	निजी भूमि
762/1	1.24	निजी भूमि
762/2	1.00	निजी भूमि
768	0.15	निजी भूमि
769	0.11	निजी भूमि
772	0.56	निजी भूमि
773	0.09	निजी भूमि
774	0.65	निजी भूमि
784	0.20	निजी भूमि
770	0.87	निजी भूमि
771	0.25	निजी भूमि
791	0.19	निजी भूमि
830	0.01	निजी भूमि
831	0.05	निजी भूमि
775	0.16	निजी भूमि
783	0.09	निजी भूमि
524	1.25	निजी भूमि
776	0.05	निजी भूमि
782	0.04	निजी भूमि
781	0.10	निजी भूमि
785	0.02	निजी भूमि
786	0.03	निजी भूमि
788	0.04	निजी भूमि
789	0.88	निजी भूमि
832	0.40	निजी भूमि
526	0.82	निजी भूमि
798	0.04	निजी भूमि
800	0.02	निजी भूमि
835	0.80	निजी भूमि
836	0.95	निजी भूमि
837	0.70	निजी भूमि
839	1.31	निजी भूमि
865	0.25	निजी भूमि
840	1.11	निजी भूमि
841	1.10	निजी भूमि
863	0.95	निजी भूमि
866	0.16	निजी भूमि
864	1.04	निजी भूमि
867	0.15	निजी भूमि
868	0.32	निजी भूमि
871/1	0.51	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
871/2	0.20	निजी भूमि
873	0.48	निजी भूमि
874	0.50	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	26.00	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बघवार कलॉ तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 24 सितम्बर 2010

प्र.क्र. 2007.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली
(ख) तहसील—देवसर, प. ह. नं.86
(ग) ग्राम का नाम—डगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.65 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
41/1/1	0.05
43/3	0.28
43/4/2	0.13
41/1/2	0.05
43/4/1	0.13
43/5	0.01
योग . .	0.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—एल्यूमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट के लिए रेलवे ट्रैक निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली
(ख) तहसील—देवसर, प. ह. नं. 81
(ग) ग्राम का नाम—बरैनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.82 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1032	0.10
1037	0.03
1120	0.30
1135	0.11
1137	0.12
1139	0.45
1146	0.07
1148	0.50
1034	0.04
1119	0.06
1122	0.16
1136	0.01
1138	0.52
1145	0.72
1147	0.23
1149	0.40
योग . .	3.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—एल्यूमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट के लिए एप्रोच रोड एवं रेलवे ट्रैक निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली
(ख) तहसील—देवसर, प. ह. नं. 80
(ग) ग्राम का नाम—बडोखर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.73 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
220/1	0.08
220/3	0.04
263/1	0.10
264/1	0.09
267/2	0.04
269/2	0.17
270	0.16
271/2	0.08
274	0.05
275/2	0.27
275/4	0.26
278/2	0.08
278/4	0.08
278/6	0.11
294/	1.05
296/2	0.13
296/4	0.13
306	0.90
309	0.05
313/2	0.03
220/2	0.08
222	0.75
263/2	0.09
264/2	0.33
269/1	0.17
269/3	0.01
271/1	0.20
273/3	0.03
275/1	0.26
275/3	0.26
278/1	0.10
278/3	0.06
278/5	0.15
293	0.05
296/1	0.13
296/3	0.13
298/1	1.40
307	0.60
313/1	0.03
योग . .	8.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—एल्यूमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट के लिए एप्रोच रोड एवं रेलवे ट्रैक निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली
(ख) तहसील—देवसर, पटवारी हल्का नं. 79
(ग) ग्राम का नाम—ओड़गड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.79 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
944/1	0.30
945	1.17
946/1/2	0.10
946/1/4	0.10
947	0.18

(1)	(2)
960/2	0.19
964/1	0.57
965/1	0.18
965/3	0.30
965/5	0.02
966/2	0.02
967/1/1	0.06
967/2	0.05
967/4	0.05
969	0.01
944/2	0.21
946/1/1	0.38
946/1/3	0.10
946/2	0.43
960/1	0.19
961	0.25
964/2	0.08
965/2	0.01
965/4	0.40
966/1	0.02
966/3	0.02
967/1/2	0.05
967/3	0.05
968	0.30
योग . .	5.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—एल्यूमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट के लिए एप्रोच रोड निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली

(ख) तहसील—देवसर, पटवारी हल्का नं. 99

(ग) ग्राम का नाम—भीखा झरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.50 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
533	1.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—एल्यूमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट के लिए इन्टेकवेल निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्र. 1755-वाचक-प्र.क्र.-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—लंगुर (पूरक)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.320 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
283/1/1/3/1	0.006
283/1/1/3/3	0.162
283/1/1/5/2	0.052
283/1/1/2	0.090

(1)	(2)
468/1/1	0.175
471/2/2/2	0.156
471/2/1/2	0.079
471/4/1/2	0.015
468/3/1/1	0.084
471/2/1/4	0.079
471/4/1/4	0.015
494/1	0.150
461/2 ख	0.022
472/3	0.080
463/1ख	0.050
461/2 ग	0.015
657	0.090
योग . .	1.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 138725 मी. से 14200 मी. के निर्माण के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1761-वाचक-प्र.क्र.-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—सिरसाला (पूरक)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.732 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
220/2	0.256
220/3	0.256
15/2/3 पैकी	0.220 पैकी
योग . .	0.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. आर.डी. 135990 मी. से 138700 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1767-वाचक-प्र.क्र.-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—जाटपुर (पूरक)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.514 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
165/1/1/3	0.072
165/5	0.278
165/1/3/2	0.040

(1)	(2)
165/1/3/3	0.103
165/1/3/4	0.021
योग . .	0.514

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 121833 मी. से 122918 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

प्रकरण क्र. 1-अ-82-भू.अ.अ.-बरगी-2-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—सिहोरा
(ग) ग्राम—मरहटी, प.ह.नं. 73, नं. बं. 703
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.08 हेक्टे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
38	0.08
योग . .	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मरहटी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो. सागर परियोजना इकाई क्र. 2 बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.

प्रकरण क्र. 3-अ-82-भू.अ.अ.बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—मोहलाझिर, प.ह.नं. 6, नं. बं. 382
(घ) लगभग क्षेत्रफल—बोरवेल (0.30 हेक्टे. में निर्मित)

खसरा नम्बर	मद रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
15/1	बोरवेल (0.30 हेक्टे. में निर्मित)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मदना वितरण की उपशाखा की M^3, R^1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो. सागर परियोजना इकाई क्र. 2 बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—शहडोल, मध्यप्रदेश

क्रमांक-10-अ-82-05-07-फा-368- शहडोल, दिनांक 20 जनवरी 2010

करार-पत्र

यह करार-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई 2010, को प्रथम पक्ष कलेक्टर, शहडोल के मार्फत् कार्य करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में जहां प्रसंग से वैसा अनुमत हो, उसके पद के उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शाखा शहडोल (म. प्र.) को कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित एक पब्लिक, लिमिटेड कंपनी है तथा जिसका मुख्यालय एवं रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 3rd floor, Maker Chambers IV, 222 Nariman Point, Mumbai-400021 (महाराष्ट्र) में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी है, जिस अभिव्यक्ति में जहां कि प्रसंग से अनुमत हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत अभिहस्तांतरित सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है एवं परियोजना कार्यालय बुढ़ार वाय पास रोड जय माता दी पेट्रोल पंप के पास बलपुरवा, शहडोल, 484001 में स्थित है.

चूंकि कंपनी ने जिला शहडोल तहसील-जैतपुर के ग्राम छोटकीटोला में स्थित भूमि को जिसके खसरा क्रमांक संलग्न सूची अनुसार खसरा नम्बर 16 हैं कुल रकबा 5.240 हे. है, (जिसे इसमें संलग्न की गई सूची में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है तथा अधिक स्पष्टत: दृष्टि से इसमें उपाबद्ध मानचित्र पर अंकित किया गया है और उसमें सुर्खी से बतलाया है इसके पश्चात् उक्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) प्रस्तावित औद्योगिक इकाई की स्थापना के प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि एवं उसके सहायक अन्य कार्यों के जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शाखा शहडोल (म. प्र.) के नाम से निर्दिष्ट किया गया, निर्माण तथा स्थापना के लिये लैण्ड एक्यूजिशन एक्ट, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त एक्ट के नाम से निर्दिष्ट है) के उपबंधों के अधीन अर्जित करने राज्यपाल से प्रार्थना की है,

और चूंकि, राज्यपाल का उक्त एक्ट के उपबंधों के अधीन रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक इकाई ग्राम छोटकीटोला जिसके लोकोपयोगी सिद्ध होने की संभावना है, के निर्माण तथा स्थापना के लिये प्रस्तावित अर्जन आवश्यक है. अत: वे उक्त भूमि के अर्जन के लिये रजामन्द हो गये हैं. म. प्र. शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र क्र. एफ-12-3-05-सात-2 ए, दिनांक 25 मई 2000 के शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान की गई है. चूंकि राज्यपाल ने कंपनी को उक्त एक्ट की धारा 41 के अधीन इसमें इसके पश्चात् दिये गये निबन्धनों तथा शर्तो पर राज्यपाल के साथ करार करने के लिये अपेक्षित है.

अतएव, यह करार निम्नलिखित बातों का साक्षी है और एतद्द्वारा यह करार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि:—

(1) कंपनी राज्यपाल या ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि राज्यपाल इस संबंध में नियुक्त करें ऐसी समस्त राशियां चुकाएगी जो कि राज्यपाल को उक्त भूमि का अर्जन करने में प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों के कारण खर्च करना पड़े, वह धन जो कंपनी द्वारा इस खण्ड के अधीन देय होगा और तत्पश्चात् ऐसी और रकम या रकमों की जिसके कि जिसमें/जिनके संबंध में कलेक्टर यह अनुमान करें कि वह/वें समय-समय पर प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों को चुकाने के प्रयोजन के लिये अपेक्षित होगी/होंगी, कलेक्टर को, उसके द्वारा लिखित में मांग किये जाने के पश्चात् 14 दिन के भीतर देनगी करने चुकाया जायेगा, यदि कंपनी ऊपर निर्दिष्ट किये गये अनुसार अर्जन के सम्पूर्ण खर्च या उसके किसी भाग के पूर्ववत् कालावधि के भीतर राज्यपाल को न चुकाये तो राज्यपाल उस कंपनी से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने के लिये हकदार होगा, परन्तु उस खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का शासन के अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

(2) ऊपर के खण्ड (1) के अधीन देय समस्त धन की देनगी होने पर राज्यपाल उक्त भूमि कंपनी को अन्तरित करेंगे और तदुपरान्त कंपनी ऐसे राजस्व तथा अन्य प्रभारों को, जो कि समय-समय पर निश्चित किये जायें, चुकाने के अपने दायित्वों के अधीन रहते हुये तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुये उक्त भूमि को धारण करेगी, अर्थात्:—

(1) अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

(2) भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

(3) भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

(4) कंपनी (इस आश्य की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एवं सदस्य को कंपनी में आदर्श पुनर्वास नीति में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देगी, परन्तु उपरोक्त शर्त में संशोधन करते हुये मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ-12-3-05-2-2ए-दिनांक 2 अप्रैल 2007 के अनुसार यदि भू-अर्जन एवं अधिग्रहण के दौरान किसी प्रकार का वास्तविक विस्थापन होता है तो विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास आर्दश पुनर्वास नीति के अंतर्गत किया जावेगा. वास्तविक विस्थापन न होने की दशा में कंडिका क्रमांक 4 प्रभावहीन रहेगी.

(5) यदि कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने,दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44 ए).

(6) यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

(7) भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे, भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौंड खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

(8) शासन को पूर्वानुमति के बिना भूमि के स्वरूप को बदला नहीं जाएगा.

(9) पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोंपण किया जायेगा.

(10) प्रदूषण नहीं किया जायेगा, इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे, कि पर्यावरण, जल स्त्रोत व वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

(11) भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

(12) यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है तो या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को उसका मुआवजा देय नहीं होगा.

(13) भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

(14) भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.

(15) शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तो के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

(16) भूमि के स्वामी को विभिन्न कार्यों जैसे श्रमिक, सुरक्षाकर्मी एवं सिविल कार्य की ठेकेदारी आदि के लिये अस्थाई रूप में कंपनी में रखा जावेगा.

(17) माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किसी भी कृषक के भूमि संबंधी वाद पर अतिरिक्त राशि भुगतान के आदेश होने पर कंपनी उपरोक्त राशि प्रदान करने को बाध्य रहेगी.

अनुसूची

मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश को सी.बी.एम. प्रोजेक्ट हेतु ग्राम-छोटकीटोला, प.ह.नं.-67, रा.नि.स.-जैतपुर, तहसील-जैतपुर, जिला शहडोल की भूमि के भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित कृषक सर्वे क्रमांक एवं रकबा:—

ग्राम छोटकीटोला, तहसील-जैतपुर, जिला—शहडोल (म. प्र.)

क्रमांक (1)	भूमि-स्वामी का नाम (2)	खसरा नम्बर (3)	कुल रकबा (हेक्टर में) (4)	प्रस्तावित भूमि का रकबा (हेक्टर में) (5)
1	लोकई पिता बिकनू पाव	34/1	0.291	0.291
2	लोकई पिता बिकनू पाव	49/1	0.231	0.231
3	लोकई पिता बिकनू पाव	65/1	0.740	0.740
4	लोकई पिता बिकनू पाव	92/1	0.101	0.101
5	बब्बू, मण्डल पिता महादेव पाव	48	0.344	0.344
6	बब्बू, मण्डल पिता महादेव पाव	49/2	0.202	0.202
7	बब्बू, मण्डल पिता महादेव पाव	65/2	1.020	1.020
8	बब्बू, मण्डल पिता महादेव पाव	92/2	0.202	0.202
9	सुखलाल पिता गुठई पाव	50	0.624	0.624
10	नानबाई पिता रामदीन, कुडोलिया पिता रामदीन, रामचरण पिता दयाराम पाव	61	0.368	0.368
11	मोतीलाल पिता सूम्मा पाव	63/4	0.405	0.405
12	बहादुर पिता जौहरी पाव	87	0.129	0.129
13	बहादुर पिता जौहरी पाव	88	0.510	0.041
14	बहादुर पिता जौहरी पाव	91	0.478	0.032
15	रामलाल पिता महासिंह पाव	135	0.255	0.255
16	रामलाल पिता महासिंह पाव	136	0.255	0.255
	कुल योग . .		9.670	5.240

इसके साक्ष्य में करार के पक्षों ने इस करार पर उस दिनांक तथा वर्ष को जो क्रमश: उनके अपने-अपने हस्ताक्षरों के सम्मुख अंकित है, अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं.

दिनांक 20 जुलाई 2010

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(नीरज दुबे)
कलेक्टर, जिला शहडोल एवं पदेन
उपसचिव.

साक्षीगण:

(1) राजेन्द्र कुमार राय
डिप्टी कलेक्टर, शहडोल, म. प्र.

कृते-मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबंधक
रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
सी.बी.एम. प्रोजेक्ट
शहडोल (म. प्र.)

(2) रवि सिंह
विधिक समन्वयक
रिलांयस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
सी.बी.एम. प्रोजेक्ट,
शहडोल (म. प्र.)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—खरगोन, मध्यप्रदेश

क्रमांक-1462-भू-अर्जन-10 खरगोन, दिनांक 16 सितम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 21-अ-82-09-10

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगौन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 15-9-10 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम आलीबुजूर्ग प. ह.नं. 23, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 05 कुल क्षेत्रफल 0.673 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.-1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम आलीबुजूर्ग

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	करणसिंह, पवनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह अ.पा.क. सुशीलाबाई बेवा लक्ष्मणसिंह राजपूत	6/1	0.081	पाईप लाईन-7.
2	रसकुंवरबाई बेवा बोंदरसिंह, प्रहलादसिंह, हरेसिंह पिता बोंदरसिंह,	18	0.366	—
	दीपसिंह पिता बोंदरसिंह, कृष्णाबाई, फुलकुंवरबाई पिता बोंदरसिंह, राजपूत.	19	0.202	पाईप लाईन-14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	द्वारकीबाई पिता नरसिंह, नत्थू पिता मंगत्या, गुलाबबाई बेवा चम्प्या, रुखडू पिता गंगाराम, पुजन पिता चम्प्या हरिजन	290	0.012	—
4	मोत्या पिता बाबु हरिजन नि. खेड़ीघाट	293	0.012	—
	योग . .	5	0.673	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-7-2010-सात-2 ए, भोपाल दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम-1894 की धारा-41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि:—

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा.

(I) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम आलीबुजुर्ग की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील बड़वाह, जिला खरगोन के ग्राम आलीबुजुर्ग की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 0.673 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तो पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कम्पनी (इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.

3. संबंधित कम्पनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अंतर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कम्पनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कम्पनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कम्पनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारते, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरुप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदुषण निवारण हेतु व्यवस्था का जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदुषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदुषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है, या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी ओर कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिये कंपनी बाध्य होगी.

(2) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जावेगी.

(3) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(4) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(5) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगौन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **डॉ. ममता खेड़े**
पता : न्यू आफिसर्स कालोनी,
खरगोन.

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **आर. वी. जोशी**
पता : 24, रविन्द्रनगर
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—खरगोन, मध्यप्रदेश

क्रमांक-1464-भू-अर्जन-10 खरगोन, दिनांक 16 सितम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 22-अ-82-09-10

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे है, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ

से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे है, के मध्य आज दिनांक 15 सितम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम बेलसर प. ह.नं. 22, तहसील बडवाह, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 04 कुल क्षेत्रफल 2.798 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.-1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम बेलसर

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सुनीताबाई पति प्रभु कलमे सा. 6/1 स्नेहलता गंज मीर अपार्टमेंट, इन्दौर	175	1.882	पाईप लाईन-10 मोटरघर-4
2	रविन्द्रपुरी, सदाशिवपुरी पिता दिवामपुरी महापुरी पिता शिवपुरी गोसाई, रामा पिता हीरालाल नावड़ा सा. देह चन्द्रशेखर शशिकांत, अरुण, ओमप्रकाश, रुकमणी, कंचनबाई, गणगौर पिता नारायण, केशवराव पिता गोपीनाथ, सुरेन्द्र, राजेन्द्र,	179	0.440	—
	ब्रजेन्द्र, सुदर्शन, कमलाबाई, विमलाबाई, उमाबाई पिता बाबूराव सा. बड़वाह.	183	0.440	—
3	चंद्रेश्वर विमलेश्वर महादेव ट्रस्ट सा. देह	184	0.036	—
		योग . . 4	2.798	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-7-2010-सात-2 ए, भोपाल दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम-1894 की धारा-41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि:—

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा.

(I) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम बेलसर की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील बड़वाह जिला खरगोन के ग्राम बेलसर की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 2.798 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तो पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.

3. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अंतर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगरनिगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारते, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरुप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है, या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों क़ा पालन किये जाने के लिये कंपनी बाध्य होगी.

(2) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(3) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(4) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(5) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबत् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र सक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **डॉ. ममता खेड़े**
पता : न्यू आफिसर्स कालोनी,
खरगोन.

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **आर. वी. जोशी**
पता : 24, रविन्द्रनगर
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—खरगोन, मध्यप्रदेश

क्रमांक-1465-भू-अर्जन-10 खरगोन, दिनांक 16 सितम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 23-अ-82-09-10

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे है, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे है, के मध्य आज दिनांक 15 सितम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम बकावां प. ह.नं. 30, तहसील बडवाह, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 16 कुल क्षेत्रफल 4.397 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.-1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम बकावां

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भूवानीराम पिता चेतराम गुजर नि. बकावां	8/1	0.044	—
2	भूवानीराम पिता चेतराम गुजर भूमिस्वामी बकावां	350/2	0.128	नीम-1
3	भूवानीराम पिता चेतराम गुजर भूमिस्वामी बकावां	350/3	0.127	नीम-1
4	मनोज पिता छज्जुलाल गुजर सा. सनावद, सल्लु खां पिता वहाब खां मुसलमान सा. बेडिया.	527/1	0.950	—
5	जगदीश पिता राजाराम भू. स्वा. जाति बलाई नि. बकावां	528/4	0.189	—
6	रमेश पिता झापु, कमलाबाई पति रमेश भू. स्वा. जाति बलाई नि. बकावां.	614/2	0.150	—
7	राधेश्याम, जोहारीलाल, पिता सुक्या, संतोषबाई पति राधेश्याम जाति बलाई भू. स्वा. नि. बकावां.	614/3	0.200	—
8	शिवराम पिता देवराम, बलाई नि. बकावां भू. स्वा.	614/4	0.100	—
9	कंडवाजी, मोहनलाल पिता मांगीलाल, मायाबाई पिता मांगीलाल, बलाई नि. बकावां भू. स्वा.	614/5	0.057	—
10	शेख अ. गफफार पिता शेख हबीब, मुसलमान बिहारीलाल पिता छज्जुलाल, गुजर नि. बेडिया सनावद भू. स्वा.	528/2	0.709	—
11	मंगत्या, बुदीया पिता लच्छा, रेवाराम, हिरालाल, चिंताराम, सावित्रीबाई, शांताबाई, सकरीबाई, रामकुंवरबाई पिता निल्या, भू. स्वा. जाति बलाई नि. बकावां.	534/1	0.631	—
12	मंगत्या, बुदीया पिता लच्छा, बलाई नि. बकावां भू. स्वा.	534/12	0.202	—
13	मंगत पिता नत्थू, प्रेमबाई पति मंगत भू. स्वा. जाति बलाई नि. बकावां.	539/3	0.040	—
14	भागीरथा पिता फत्तु भू. स्वा. जाति बलाई नि. बकावां	539/4	0.280	आम पौधा-1
15	प्रेमबाई, पारुबाई, रामप्यारीबाई पिता दयाराम, नर्मदाबाई बेवा गुलाबचंद, भू. स्वा. जाति बलाई नि. बकावां.	539/5	0.330	नीम वृक्ष-3
16	मंगत पिता रामा, नथीबाई पति मंगत भू. स्वा. जाति बलाई नि. बकावां.	539/6	0.260	—
	योग . . 16		4.397	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-7-2010-सात-2 ए, भोपाल दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम-1894 की धारा-41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि:—

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कंपनी को प्रदान करेंगा.

(I) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम बकावां की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील बड़वाह जिला खरगोन के ग्राम बकावां की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 4.397 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.

3. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अंतर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगरनिगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारते, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरुप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था का जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है, या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी ओर कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिये कंपनी बाध्य होगी.

(2) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जावेगी.

(3) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(4) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(5) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगौन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र सक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **डॉ. ममता खेड़े**
पता : न्यू आफिसर्स कालोनी,
खरगोन.

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **आर. वी. जोशी**
पता : 24, रविन्द्रनगर
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—खरगोन, मध्यप्रदेश

क्रमांक-1463-भू-अर्जन-10 खरगोन, दिनांक 16 सितम्बर 2010

[भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 24-अ-82-09-10

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे है, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर

कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे है, के मध्य आज दिनांक 15 सितम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम सेमरला प. ह.नं. 21, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 02 कुल क्षेत्रफल 0.101 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.-1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम सेमरला

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	एसोशियन सेल्फ एक्शन तर्फे डायरेक्टर शरद पिता दामोदर राव जी जोशी, सा. नटराज नगर जयपुर,	115	0.020	—
	कैलाश पिता नवरत्न बावले, सा. 101 गोल्डी अपार्टमेंट 5/2 मल्हारगंज, इन्दौर.	120	0.081	—
		योग . .	0.101	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-7-2010-सात-2 ए, भोपाल दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम-1894 की धारा-41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि:—

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कंपनी को प्रदान करेंगा.

(I) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम सेमरला की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील बड़वाह जिला खरगोन के ग्राम सेमरला की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 0.101 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.

3. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अंतर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगरनिगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारते, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरुप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था का जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है, या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी ओर कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिये कंपनी बाध्य होगी.

(2) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जावेगी.

(3) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(4) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(5) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगौन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र सक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **डॉ. ममता खेड़े**
पता : न्यू आफिसर्स कालोनी,
खरगोन.

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **आर. वी. जोशी**
पता : 24, रविन्द्रनगर
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—खरगोन, मध्यप्रदेश

क्रमांक-1459-भू-अर्जन-10 खरगोन, दिनांक 16 सितम्बर 2010

[भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 25-अ-82-09-10

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे है, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे है, के मध्य आज दिनांक 15 सितम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम नगावां प. ह.नं. 31, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 35 कुल क्षेत्रफल 1.552 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.-1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—3

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम नगावां

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हिरालाल पिता छितु, शेरु देवराम राधेश्याम मंशाराम, आशाराम पिता टीकाराम, हीरुबाई बेवा टीकाराम, सावित्रीबाई, गायत्रीबाई पिता टीकाराम सुतार सा. नगावां.	6 पैकी	0.041	—
2	गड़बड़ पिता दुल्या, नंदराम, रामचंद प्रेमचंद कड़वी, दगड़ी पिता कोल्यां, राधेश्याम पिता राजाराम, केवट नि. नावघाट खेड़ी	11	0.121	—
3	कालु पिता मयाराम, रूकमणी पिता मयाराम जतनबाई बेवा मयाराम, शेरूलाल, भूवानीराम, लालु, बलीराम, द्वारकी, नादान, कैशर, चंदा पिता नत्थू केवट नि. नगावां भू.स्वा.	13/1	0.170	—
4	गड़बड़ पिता दुल्या नंदराम, रामचंद, प्रेमचंद कड़वी, दगड़ी पिता कोल्या, राधेश्याम पिता राजाराम, केवट नि. नावघाट खेड़ी	16	0.114	ईमली-1, नीम-4
5	भिका पिता गप्पु कुम्हार नि. नगावां भू. स्वा.	17/1	0.045	नीम-1
6	गड़बड़ पिता दुल्या, नंदराम, रामचंद प्रेमचंद कड़वी, दगड़ी पिता कोल्या, राधेश्याम पिता राजाराम, केवट नि. नावघाट खेड़ी	23	0.041	—
7	कड़वा पिता नत्थू केवट नि. नगावां भू-स्वा.	25/1	0.012	मकान-1
8	कड़वा पिता नत्थू केवट नि. नगावां भू-स्वा.	25/2	0.012	मकान-2
9	सडू पिता दयाराम नावडा सा. देह	26	0.008	—
10	हिरालाल, गोपाल, कमलाबाई, मायाबाई पिता बोखार, लक्ष्मीबाई बेवा बोखार नावड़ा निवासी नगावां	27	0.008	मकान-1
11	हिरालाल, गोपाल, कमलाबाई, मायाबाई पिता बोखार, लक्ष्मीबाई बेवा बोखार, फुलचंद, मुन्ना पिता शोभाराम अ. पा.कर्ता चंदु पिता शोभाराम अ. जगदीश गजानंद पिता ताराचंद अ.पा.क. मामाजी खेमाजी पिता सीताराम, नावड़ा भू.स्वा. सा. देह	28	0.012	—
12	अ.जगदीश गजानंद पिता ताराचंद, अपा.क. खेमाजी पिता सीताराम, फुलचंद, मुन्ना पिता शोभाराम नावड़ा सा. नगावां	29	0.008	मकान-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	हिरालाल, गोपाल, कमलाबाई, मायाबाई पिता बोखार, लक्ष्मीबाई बेवा बोखार नावड़ा निवासी नगावां	30	0.008	मकान-1
14	हिरालाल, गोपाल, कमलाबाई, मायाबाई पिता बोखार, लक्ष्मीबाई बेवा बोखार, फुलचंद, मुन्ना पिता शोभाराम अ.पा.कर्ता चंदु पिता शोभाराम अ. जगदीश गजानंद पिता ताराचंद अ.पा.क. मामाजी खेमाजी पिता सीताराम, नावड़ा भू. स्वा. सा. देह	31	0.008	—
15	गुलाबचंद, गुलाबबाई पिता रतन केवट नि. नगावां भू. स्वा.	32	0.057	मकान-1
16	राजाराम पिता बाल्या नि. नगावां भूमिस्वामी	33	0.061	—
17	कालु पिता मयाराम, रूकमणी पिता मयाराम जतनबाई बेवा मयाराम, शेरूलाल, भूवानीराम, लालु, बलीराम, द्वारकी, नादान, कैशर, चंदा पिता नत्थू केवट नि. नगावां भू. स्वा.	35	0.036	—
18	मांगीबाई बेवा मोत्या नावड़ा नि. नगावां भू. स्वा.	36	0.036	मकान-2, नर्मदा मंदिर-1 सीताफल-1, आम पौधे-3, बड़-1, पीपल-1, नीम-1, नीबू-1, बदाम-1, अनार-1, जाम-1
19	सेवकराम, धन्नालाल, मंगली, लीला, शारदा पिता शोभाराम, केशरबाई बेवा शोभाराम, मांगीलाल, संडया, गोविंद पिता दयाराम, मांगीलाल नत्थू पिता राजाराम, श्याणीबाई बेवा गोपाल, किरण, मिनू पिता गोपाल नर्मदाबाई बेवा खुश्याल, विनोद, गबरू, भागवतबाई, राजूबाई पिता खुश्याल, बाबूलाल, लक्ष्मण, गेंदालाल पिता, मयाराम नावड़ा नि. नगावां भू. स्वा.	40	0.057	मकान-4, नीम-1
20	बदा शेरू पिता सिकदार, लाड़की श्याणी पिता सिकदार केवट नि. नगावां	42/1	0.101	मकान-1, कोलुड़-1, बैर-1
21	खुबचंद, जड़ावचंद, नेमीचंद कमल बाबु पिता प्यारचंद, लक्ष्मी पिता चम्पालाल निवासी पिपलगोन भूमिस्वामी	49	0.109	नीम-2, डी.पी.एम. पी.ई.बी.-1
22	सीताबाई जौजे, चैतराम, भूवानीबाई जौजे, हिरा गुजर, नि. नगावां भू. स्वा.	50	0.081	—
23	कावेरीबाई जौजे, मोहन रेवाबाई जौजे सकाराम, नावड़ा नि. नगावां भू. स्वा.	53	0.045	—
24	सुखराम, बाबु भिक्या, बलीराम पिता गणपत चमार नि. नगावां भूमिस्वामी	54	0.024	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	राधेश्याम पिचा चंपालाल, राजपुत नि. नगावां	73/1 पैकी	0.008	—
26	जनकगीर पिता गणपतगीर, शांताबाई बेवा गणपतगीर, नि. नगावां भू. स्वा.	104 पैकी	0.010	—
27	जगदीश पिता प्रेमलाल गुजर सा. देह	108/1	0.056	मकान-1
28	रमेश पिता प्रेमलाल गुजर सा. देह	108/2	0.057	—
29	रामकृष्ण पिता प्रेमलाल गुजर नि. नगावां भू. स्वा.	108/3 पैकी	0.017	—
30	गबरू शांतिलाल पिता गुलाबचंद अनुसूयाबाई बेवा गुलाबचंद गुजर नि. नगावां भूमिस्वामी	110	0.065	—
31	सीताराम पिता बाल्या कलाल नि. नगावां	114 पैकी	0.008	—
32	जीजा जौजे गप्पु पिंजारा निवासी करही भूमिस्वामी	116 पैकी	0.004	—
33	तुलसीराम पिता गेंदालाल गुजर नि. नगावां	117 पैकी	0.072	—
34	तुलसीराम पिता गेंदालाल गुजर नि. नगावां	118 पैकी	0.008	—
35	प्रवीणपुरी पिता महापुरी गोस्वामी नि. नगावां भू. स्वा.	121 पैकी	0.032	—
	योग . .	35	1.552	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-7-2010-सात-2ए, भोपाल दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम-1894 की धारा-41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि:—

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा.

(I) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम नगावां की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील बड़वाह जिला खरगोन के ग्राम नगावां की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 1.552 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.
3. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें.
4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापित्तयां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
8. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नही की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है, या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी ओर कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(2) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(3) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्चुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(4) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(5) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **डॉ. ममता खेड़े**
पता : न्यू आफिसर्स कालोनी,
खरगोन.

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **आर. वी. जोशी**
पता : 24, रविन्द्र नगर
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—खरगोन

क्रमांक-1460-भू-अर्जन-10 खरगोन, दिनांक 16 सितम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 26-अ-82-09-10

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 15 सितम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम मर्दाना प. ह.नं. 31, तहसील बडवाह, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 126 कुल क्षेत्रफल 10.477 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.-1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—3

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम मर्दाना

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	देवराम, माया, लक्ष्मी पिता राघोराम, मिठीबाई बेवा राघोराम, गुजर नि. ग्रा. भू. स्वा. मर्दाना	91	0.008	पाईन लाईन-5
2	मदन पिता सीताराम गुजर नि. ग्राम	95/1	0.020	मकान-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	पदम पिता सीताराम गुजर नि. ग्राम. भू. स्वा.	95/2	0.008	—
4	मरुबाई बेवा मयाराम, कडवा, पार्वती, रमु, बसु पिता सयाराम गुजर सा. ग्रा.	96/2	0.008	—
5	जसोदाबाई बेवा तुकाराम, सीता सावित्री, सुरज, ग्यारसी पिता तुकाराम गुजर नि. ग्रा. भू.स्वा.	97 98	0.010 0.028	— —
6	लेखराम, सेवकराम पिता राधेश्याम, नथीबाई बेवा राधेश्याम गुजर, सा. देह भू. स्वा.	100/1	0.040	—
7	गुलाबसिंह, रामसिंह, बसंती पिता भलाजी गुजर सा. देह भू. स्वा.	100/2	0.040	—
8	रामेश्वर, जगन्नाथ, सावित्री, सुरज, बसकर, सुशीला पिता शोभाराम, राजलबाई बेवा शोभाराम, नानकराम, भगवान, रामदुलारी पिता नत्थू, लखन पिता मांग्या गुजर, नि. ग्रा.	101 102/1	0.129 0.105	— नीम–1
9	श्रीराम पिता मंगत्या गुजर नि. ग्रा. भू. स्वा.	102/2	0.037	नीम–2
10	बलराम पिता मंगत्या गुजर सा. देह भू. स्वा.	102/3	0.036	—
11	श्रीकृष्ण पिता मंगत्या गुजर सा. देह भू. स्वा.	102/4	0.036	—
12	सुरेश पिता बंसीलाल जाति ब्राह्मण सा. देह भू. स्वा.	103	0.186	नीम–1
13	घिस्या पिता छितर गुजर सा. ग्रा. भू. स्वा.	104	0.174	—
14	प्रहलाद पिता नहारसिंह राजपूत ग्राम भू. स्वा.	105/1	0.065	—
15	कमलसिंह पिता शेरसिंह राजपूत नि. ग्रा. भू. स्वा.	105/2	0.137	—
16	अजयसिंह पिता नहारसिंह राजपूत नि. ग्राम भू. स्वा.	105/3	0.065	
17	रघुवीरसिंह पिता नहारसिंह राजपूत नि. ग्राम भू. स्वा.	105/4	0.065	
18	उषाबाई, रमाबाई, प्रभाबाई, भागवतबाई पिता मुन्नालाल ब्राह्मण नि. ग्राम भू. स्वा.	107	0.170	—
19	मनोहर पिता रामकृष्ण कायस्त नि. ग्रा.	108	0.129	—
20	उदयभानू, मोतीलाल, संजय, अशुतोष पिता रतनलाल कायस्थ नि. ग्राम भू. स्वा.	109	0.142	नीम–1, बासझुण्ड–1, मकान–1, सागवान–10
21	गंगाबाई जौजे जोगीलाल गुजर नि. मलगांव भू. स्वा.	110	0.081	—
22	दादु, अशोक, महावीर, कैलाश, बहादुर, भारती, गायत्री पिता गेंदालाल, बंसती बेवा गेन्दालाल, सकुन, राजकुवर, तेजकुवार पिता मांगीलाल, गुजर सा. देह.	111	0.222	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	पुरुषोत्तम, लालु पिता बाबूराव, राधाबाई बेवा बाबुराव, काशीनाथ, बद्रीनाथ, लालचंद पिता नारायणराव, विनायकराव, अजयकुमार,	115	0.158	—
	बिनु, शंकुतला पिता राजनाथ, राधाकृष्णा, महादेव पिता रेवाशंकर, सरसतबाई बेवा रेवाशंकर ब्राम्हण सा. ग्रा. भू. स्वा.	117	0.219	—
24	प्रेमचंद पिता पदम ब्राम्हण नि. ग्रा.	116	0.139	—
25	जनार्दन लक्ष्मीचंद पिता बालकृष्ण, भालचंद पिता जगन्नाथ ब्राह्मण नि. ग्रा. भू. स्वा.	118	0.097	नीम-1, सागवान-10
26	रूपसिंह, रमेश, सुमनबाई पिता गुलाबसिंह, गुलाबबाई बेवा गुलाबसिंह, राजपूत नि. ग्रा.	119/1	0.032	—
27	भगवानसिंह, नारांतक पिता दरियावसिंह राजपूत सा. ग्रा.	119/2	0.033	—
28	काशीनाथ पिता नारायण, अशोक, राजेन्द्र, मोहन, हरिश, सरिता पिता लालचंद ब्राम्हण नि. ग्रा. भू. स्वा.	120	0.045	—
29	विनायकराव, अजयकुमार, बीनूबाई, शकुंतलाबाई पिता राजनाथ, रुकमणीबाई बेवा राजनाथ, ब्राम्हण नि. ग्रा. भू. स्वा.	121	0.045	इमली-1
30	देवीसिंह पिता मांगीलाल राजपूत नि. ग्रा.	122	0.101	बेर-1, इमली-1, अस्तरा-1, बास झुण्ड-4, नीम-4
31	कमलाबाई बेवा उमेदसिंह, अमिताबाई पिता उमेदसिंह राजपूत नि. ग्रा. भू. स्वा.	123	0.146	—
32	रामलाल पिता छितु राजपूत नि. ग्रा.	125	0.186	नीम-2
		127	0.081	—
33	भूवानीराम पिता मोजा गुजर सा. ग्रा.	128	0.065	—
34	भगवानसिंह पिता दगडुसिंह, प्रतापसिंह पिता दगडूसिंह, सुशीलाबाई बेवा दगडुसिंह राजपूत नि. ग्रा.	129	0.198	नीम-2, बेर-1
35	श्रीकृष्ण पिता गजानंद ब्राम्हण नि. ग्रा.	130	0.081	—
36	शंकर, सतानंद, दुर्गाशंकर, केदार पिता रमाकांत ब्राम्हण नि. ग्रा.	131	0.081	—
37	किशोरसिंह पिता मांगीलाल, राजपूत नि. ग्रा.	132	0.081	नीम-1
38	कालुराम पिता नारायणराव ब्राम्हण नि. ग्रा.	133	0.097	—
39	भगवान, बोंदर पिता हिरा गुजर नि. ग्रा.	134	0.049	—
40	कडवा पिता मांग्या, श्यामाबाई बेवा मांग्या, रमेश, आनंदराम पिता रामरतन, कालू, नाना पिता जयराम, बबन पिता पुना, नत्थु पिता हिरा, धोबी नि. ग्रा.	135	0.182	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41	बाबुलाल पिता जोगीलाल गुजर नि. ग्रा.	136/1 136/2	0.117 0.118	— —
42	ध्रुवकुमार पिता अनन्तराव, सुशील, कपिल, निता पिता राघबेन्द्र मालती बेवा राघबेन्द्र, ब्राम्हण नि. ग्रा.	137	0.129	—
43	चैनसिंह पिता हीरालाल गुजर नि. ग्रा.	138/1	0.041	—
44	भाईराम पिता हीरालाल गुजर नि. ग्रा.	138/2	0.040	—
45	बाबुलाल पिता छितु गुजर नि. ग्रा.	139	0.105	—
46	भलाजी पिता रामलाल गुजर नि. ग्रा.	140	0.089	इमली-1
47	राधेश्याम पिता मयाराम गुजर नि. ग्रा.	141	0.081	—
48	टीकाराम पिता करसन गुजर नि. ग्रा.	142/1	0.020	—
49	राजाराम पिता करसन गुजर नि. ग्रा.	142/2	0.020	मकान-1, टीनशेड-1 पानी की टंकी-1
50	भाईराम पिता करसन गुजर नि. ग्रा.	143	0.040	—
51	गजानंद, लक्ष्मीनारायण पिता भाईराम, अनोखीबाई बेवा भाईराम गुजर नि. ग्रा.	145	0.138	—
52	शिवनारायण पिता रामलाल, रंगारा, नि. ग्रा.	146	0.016	—
53	भगवान पिता हीरा गुजर नि. ग्रा.	149/1	0.049	—
54	रामेश्वर पिता कालू गुजर नि. बकावां	149/2	0.052	—
55	एडू उर्फ अनोकचंद पिता हरचंद, खुशालीबाई पति एडू उर्फ अनोकचंद गुजर सा. देह.	149/3	0.052	—
56	द्रोपदीबाई बेवा राजाराम गुजर नि. ग्रा.	151	0.068	—
57	बाबूलाल पिता छीतर गुजर नि. ग्रा	152	0.036	—
58	पुनाजी पिता सीताराम, कडवीबाई बेवा सीताराम गुजर नि. ग्रा.	153	0.008	—
59	गजराजसिंह पिता रामेश्वर गुजर नि. ग्रा.	162	0.085	—
60	चैतराम, राजाराम, तुलसीराम पिता मांगीलाल रामईबाई बेवा मांगीलाल गुजर नि. ग्रा.	163	0.360	नीम-5
61	जगदीश पिता रामलाल, रंगारा नि. ग्रा.	164	0.024	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62	फुंदाबाई बेवा शेरसिंह गुजर नि. ग्रा.	166/1	0.346	मकान-4
63	भगवानसिंह पिता शेरसिंह गुजर नि. ग्रा.	166/2	0.012	—
64	राधेश्याम पिता कालूजी गुजर नि. ग्रा.	166/3	0.057	मकान-1
65	गजरासिंह पिता रामेश्वर, गुजर नि. ग्रा.	166/4	0.057	मकान-1
66	गजरासिंह नारायणसिंह पिता रामेश्वर, लक्ष्मीबाई बेवा रामेश्वर गुजर नि. ग्रा.	167	0.105	मकान-4
67	मिशरबाई पिता रामचंद्र पति चुन्नीलाल गुजर नि. ग्रा.	194	0.010	मकान-1
68	अमरसिंह शेरसिंह पिता जालमसिंह गुजर नि. ग्रा.	195	0.113	टीन शेड-1, नीम-1, इमली-1
69	मनोहरसिंह, गोवर्धनसिंह, सौभागसिंह, निर्भयसिंह पिता भलाजी गुजर नि. ग्रा.	196	0.153	मकान-4
70	देवराम पिता फत्तु गुजर नि. ग्रा.	198	0.016	गोबर गैस-1
71	रमेश पिता उम्मेदसिंह गुजर नि. ग्रा.	201	0.097	मकान-1
72	रामसिंह, उम्मेदसिंह, श्याणीबाई पिता भलाजी गीताबाई बेवा भलाजी, श्रीराम, कैलाशबाई पिता सबलसिंह, भूरीबाई बेवा सबलसिंह गुजर नि. ग्रा.	203	0.045	मकान-1
73	रूखडुबाई जौजे, दयाराम गुजर नि. ग्रा.	204	0.093	मकान-1, टप्पर-2
74	गुलाबसिंह पिता पुनाजी गुजर नि. ग्रा.	205	0.061	मकान-1, टीनशेड-1, नीम-2
75	पर्वतसिंह, बाघसिंह गजानंद, गोपाल, लालसिंह पिता सीताराम बसुबाई बेवा सीताराम, लक्ष्मबाई पिता नत्थु गुजर नि. ग्रा.	206	0.061	टपपर-1
76	किशोर, विजय, रामु पिता दरियावसिंह कमलाबाई बेवा दरियावसिंह गुजर नि. ग्रा.	207/1	0.029	मकान-1
77	कालुजी पिता पुनाजी गुजर नि. ग्रा.	207/2	0.028	मकान-3
78	विक्रमसिंह, प्रविणसिंह पिता विजयसिंह, प्रेमलता बेवा विजयसिंह महाजन नि. ग्रा.	210	0.061	—
79	रविन्द्रसिंह पिता अमरसिंह महाजन नि. ग्रा.	200	0.045	—
		208	0.080	मकान-1
		218	0.012	—
		220	0.360	मकान-1
		222	0.057	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
80	मांगीलाल पिता गजानंद गुजर नि. ग्रा.	219/1	0.042	नीम-2
81	गजानंद पिता गोविन्द गुजर नि. ग्रा.	219/2	0.085	मकान-1
82	ओंकार पिता गजानंद गुजर नि. ग्रा.	219/3	0.019	इमली-1
83	छोगई पिता फकिरा, पार्वतीबाई पिता बाल्या, महिराम पिता बाबूलाल गुजर नि. ग्रा.	223	0.024	—
84	शिवराम पिता मंगत्या गुजर नि. ग्रा.	224/1	0.077	मकान-1
85	बलीराम पिता मंगतु गुजर नि. ग्रा.	224/2	0.077	गोबर गैस-1, इमली-1, एयरटेल टावर-1, जनरेटर-1
86	मिश्रीलाल पिता अमरसिंह गुजर नि. ग्रा.	226/1	0.041	मकान-1
87	कमलसिंह पिता अमरसिंह गुजर नि. ग्रा.	226/2	0.040	मकान-1
88	गोविन्द, रमेश किशोर पिता श्रीराम ब्राम्हण	227	0.020	—
89	लालु पिता रामा केवट नि. ग्रा.	229/1	0.020	मकान-1
90	सडु पिता रामा केवट नि. ग्रा.	229/2	0.020	मकान-1
91	दरियाव पिता रामा केवट नि. ग्रा.	229/3	0.016	—
92	जसोदाबाई बेवा मलीया, ओकार, भागवती, सुशीला, अमिता पिता मलीया नावड़ा नि. ग्रा.	229/4	0.017	—
93	बालु पिता रामा केवट नि. ग्रा.	229/5	0.020	—
94	मुन्ना, छोटु पिता अब्बास हनिफाबाई बेवा अब्बास पिंजारा नि. ग्रा.	230	0.049	—
95	दादु पिता मोसम, जबोबाई बेवा मोसम, कासम, मग्गा, कोलु मकबुल पिता गप्पु, युसुफ, कुटीया, नाना, मुन्नीबाई, इंदीरा पिता बाल्या, नानीबाई बेवा बाल्या, मांगीबाई बेवा गौरेलाल पिंजारा नि. ग्रा. भू. स्वा.	231	0.049	मकान-3
96	अमरसिंह पिता देवाजी गुजर नि. ग्रा. भू. स्वा.	232	0.061	मकान-1
97	लीलाबाई पिता मांग्या, मांगीबाई बेवा मांग्या, टुटा पिता बुधिया बलाई नि. ग्रा.	233	0.012	मकान-1
98	ग्यारसीबाई बेवा मांग्या गुजर नि. ग्रा. भू. स्वा.	234	0.008	मकान-1
99	बानुबाई बेवा जग्गु खां, रमजान खां, जाईद खां पिता जग्गु खां पिंजारा नि. ग्रा. भू. स्वा.	235	0.121	मकान-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100	घिस्या पिता बोंदर गुजर नि. ग्रा. भू. स्वा.	236	0.093	मकान-1
101	कालुराम पिता गेंदालाल, गेंदाबाई पिता गेंदालाल गुजर नि. ग्रा.	237	0.081	इमली-1, नीम-1, मकान-1
102	चंपालाल पिता बाबू कहार नि. ग्रा.	238	0.073	—
103	देवचंद पिता रामचंद बलाई नि. ग्रा.	239	0.012	—
104	नर्मदाबाई पति हरिकरण गुजर नि. ग्रा.	241	0.146	—
105	देवराम मायाबाई, लक्ष्मीबाई पिता राघोराम मीठीबाई बेवा राघोराम गुजर नि. ग्रा.	251	0.130	—
		252	0.085	—
		255	0.020	—
106	मनोहरसिंह, गोवर्धनसिंह, सौभागसिंह, निर्भयसिंह पिता भलाजी गुजर नि. ग्रा.	256	0.020	—
107	गौरीशंकर पिता कालू गुजर नि. ग्रा.	266/1	0.150	कुआं पक्का-1, नीम-1
108	देवराम पिता फत्तू गुजर नि. ग्रा.	296	0.030	नीम-2, जामुन-1 आवला-2
		297	0.160	—
		298	0.100	—
109	फुंदाबाई बेवा शेरसिंह गुजर नि. ग्रा.	260	0.500	—
		261	0.016	—
		264	0.210	—
110	विक्रमसिंह, प्रविण सिंह पिता विजयसिंह, प्रेमलता बेवा विजयसिंह महाजन नि. ग्रा.	267	0.010	—
111	दशरथ रामलाल, लक्ष्मण पिता पुन्या गुजर नि. बकावां	547	0.180	—
	योग . .	126	10.477	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-7-2010-सात-2ए, भोपाल दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि:—

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कंपनी को प्रदान करेंगा.

(I) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम मर्दाना की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील बड़वाह जिला खरगोन के ग्राम मर्दाना की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 10.477 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.
3. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें.
4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
8. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नही होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नही की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है, या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी ओर कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(2) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(3) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(4) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(5) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **डॉ. ममता खेड़े**
पता : न्यू आफिसर्स कालोनी,
खरगोन.

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **आर. वी. जोशी**
पता : 24, रविन्द्रनगर
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—खरगोन, मध्यप्रदेश

क्रमांक-1461-भू-अर्जन-10 खरगोन, दिनांक 16 सितम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 27-अ-82-09-10

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 15 सितम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम जलूद प. ह.नं. 17, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 18 कुल क्षेत्रफल 6.268 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.-1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम जलूद

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लालाराम पिता मांगीलाल सिरवी सा. छोटी खरगोन	13/4	0.972	पाईपलाईन-1, नीम-1, खाकरा-1
2	महेश पिता भोलूराम भारूड सा. देह	68/5	0.081	
3	प्रवीण पिता भोलूराम भारूड सा. देह	68/6	0.076	
4	चन्द्रशेखर पिता भोलूराम भारूड सा. देह	68/7	0.076	
5	दिलीपसिंह पिता उमरावसिंह ठाकुर सा. देह	72/2	0.506	नीम-4
6	उमरासिंह पिता दरियावसिंह राजपूत सा. देह	73	1.218	नीम-10, नीम पौधे-30
7	अश्विनकुमार पिता बसंतकुमार जैन मण्डलेश्वर	76/5	0.344	नीम-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	भूरीबाई बेवा नत्थू, झापड़िया, नान्या, मोत्या, मोहन, सूरज, शुक्या पिता तेज्या, पुनीबाई बेवा तेज्या, देवा, बाला पिता परस्या, फुन्दाबाई बेवा परस्या, गुलाबबाई पिता परस्या, सोम्मारिया, गेंदिया, कन्हैया पिता हरचंद, पेमा, करसन, मांगीलाल पिता चम्पया, रेवाराम, रुघनाथ, भोलू, छोटू पिता शंकर, मकुन्द, मुरार पिता घनश्याम, डोन्गर पिता जाधव, गिरधर, द्वारका पिता प्रेमचंद, भुवानीबाई बेवा प्रेमचंद, नानूबाई, बीनाबाई पिता गोविन्दा, श्रवण, तुलस्या पिता कन्हैया, रामा पिता नाना, मगल्या, छितर, फत्या, दशरथ पिता श्रवण बलाई सा. देह.	79/1	0.040	
9	कुसुमबाई, राधाबाई पिता मांगीलाल, कमुबाई, लीलाबाई पिता चम्पालाल, गेन्दालाल पिता कालू मानकर सा. सुलगांव.	96/2	2.194	आम-1 (सूखा) नीम-1
10	मोहन, चंदन, नयन, कमल, मल्लूसिंह, बालकसिंह, सजनसिंह, करणसिंह पिता भगवानसिंह, गोर्वधन पिता केशव ठाकुर सा. देह.	102	0.032	
11	भारतसिंह पिता रामसिंह, सीता, सलीता, सुशीला पिता रामसिंह, भगवानसिंह, हरिसिंह, भूरेसिंह, गजराजसिंह, सोहनसिंह पिता भीलूसिंह, सुनीता, संध्या पिता भीलूसिंह लक्ष्मीबाई, सुशीलाबाई बेवा भीलूसिंह राजपूत सा. देह.	103	0.032	
12	नथीबाई, लीलाबाई पिता गोविन्दा, बोखार, द्वारका पिता प्रेमचंद, भुवानीबाई बेवा प्रेमचंद, ओंकार, कैलाश, रणछोड़, सरदार पिता शंभू, मांगीबाई, बेवा शंभू बलाई सा. देह.	105/1/2	0.020	बड़-1, नीम-1
13	कन्हैया, गंगाराम पिता सरवण, ओंकार, नाराण, सुखदेव, देवराम पिता फत्या, सुखराम पिता दशरथ, लक्ष्मीबाई बेवा रघुनाथ, राधेश्याम, डालूराम, विजयसिंह पिता रघुनाथ बलाई सा. देह.	105/1/3	0.024	
14	भूरीबाई बेवा मोत्या, देवा, बाला, गुलाबबाई पिता परस्या, फुन्दाबाई बेवा परस्या, मंगत पिता नानक्या, मंगत पिता ओंकार बलाई सा. देह.	105/5	0.081	
15	गणपत, गणस्या, सोम्मारिया, गेंदया, गोविन्दा, कन्हैया पिता हरचंद बलाई सा. देह.	105/6	0.122	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	चंद्रशेखर पिता भोलूराम भारूड सा. देह	108	0.073	ईमली-1
17	किशोरसिंह, कैलाशसिंह, अर्जुनसिंह पिता फत्तुसिंह, लीला, कला पिता फत्तुसिंह, सुन्दरबाई बेवा फत्तुसिंह ठाकुर सा. देह.	113	0.284	सुरजना पौधा-40, नीम-8
18	भूरीबाई बेवा गट्या, देवा, बाला, गुलाबबाई पिता परस्या, फुन्दाबाई बेवा परस्या, मंगत पिता, ओंकार, मंगल पिता नानक्या, गणपत, गणस्या, सोमारिया, गेंदया गोविन्द, कन्हैया पिता हरचंद, गवराबाई पिता हरचंद, पेमा पिता करसन, मांगीलाल पिता चम्पालाल, वंश्या, मनश्या, भीकारिया पिता सुखलाल, फत्या, भोल्या, बाबू पिता पेमा, झापड़िया, नाना, सूरज, मोहन मोत्या, सुक्या पिता तेजा, पुनीबाई बेवा तेजा बलाई सा. देह.	100/133	0.093	
			योग . . 6.268	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 मई 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-9-2010-सात-2ए, भोपाल दिनांक 3 जून 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम-1894 की धारा-41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि:—

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा.

(I) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम जलूद की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 मई 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम जलूद की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 6.268 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापित्तयां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नही होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत)

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नही की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है, या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी ओर कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(2) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(3) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्चुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(4) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(5) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावत् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **डॉ. ममता खेड़े**
पता : न्यू आफिसर्स कालोनी,
खरगोन.

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **आर. वी. जोशी**
पता : 24, रविन्द्रनगर
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्रमांक-2018-भू-अर्जन सिंगरौली, दिनांक 27 सितम्बर 2010

करारनामा

परियोजना प्रमुख (सी. पी. पी.), महान एल्यूमिनियम परियोजना,
हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
बरगवॉ, जिला सिंगरौली 486886 (म. प्र.)

प्रथम पक्ष

एवं

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म. प्र.)

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-12-13/2009/सात/2-ए, भोपाल दिनांक 19 फरवरी 2010 द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन परियोजना प्रमुख (सी. पी. पी.) महान एल्युमिनियम परियोजना, हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरगवॉ

द्वारा सिंगरौली जिले में वृहद परियोजना (एल्यूमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट) के लिये एप्रोच रोड, रेलवे टैक एवं इन्टेकवेल बनाने हेतु तहसील देवसर जिला सिंगरौली में स्थित ग्राम ओड़गड़ी रकबा 6.54 हेक्टेयर, ग्राम बरैनिया रकबा 3.82 हेक्टेयर, ग्राम बडोखर रकवा 10.33 हेक्टेयर, ग्राम डगा रकबा 1.58 हेक्टेयर एवं ग्राम भीखा झरिया रकबा 1.50 हेक्टेयर है, निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के अधीन आज दिनांक 20-9-2010 को अनुबंध (करारनामा) निष्पादित करते हैं.

1. परियोजना के लिये उक्त निजी भूमि के अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य एवं +10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ रुपये 1,51,29,882.00/- (एक करोड़ इक्यावन लाख उन्तीस हजार आठ सौ बयासी मात्र) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा किया जा चुका है शेष राशि एवार्ड पारित करने से पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी.

2. कम्पनी द्वारा नियमानुसार 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि भी रुपये 9,95,387.00/- (नौ लाख पन्चान्वे हजार तीन सौ सत्तासी मात्र) कंपनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा किया जा चुका है.

3. प्रबन्ध निदेशक, हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की वृहद परियोजना, महान एल्यूमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट) और प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के मध्य दिनांक 23-05-2006 को किये गये मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिग (MOU) के अनुसार उभय पक्ष द्वारा कार्यवाही की जायेगी. उक्त अनुबंध इस करार का अभिन्न अंग होकर प्रपत्र "अ" के रूप में संलग्न है.

4. राज्य की आर्दश पुर्नवास नीति 2002 का परियोजना में पालन किया जायेगा.

5. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

6. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग किया जायेगा.

7. कंपनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंपनी में आर्दश पुर्नवास नीति 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिए प्रथम पक्ष वचनबद्ध होगा.

8. कम्पनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नही होगा, परन्तु परियोजना के निर्माण/विकास के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु कंपनी को ऋणदाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बंधक रखने की पात्रता शासन की पूर्व अनुमति के पश्चात होगी.

9. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआजवा देय नहीं होगा.

10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

11. कंपनी द्वारा प्रदूषण नहीं किया जायेगा इस संबंध में सम्बन्धी विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापित्त प्रमाण-पत्र करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत का वायु प्रदूषण नहीं किया जायेगा.

12. भूमि के किसी उपयोग या उस पर निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियों, अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम तथा ग्रामीण निवेश विभाग कलेक्टर, आदि से प्राप्त करना तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.

13. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी भी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, संम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कंपनी को मुआवजा देय नहीं होगा.

14. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बनें भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराए पर दिया जायेगा.

15. भूमि जिस प्रयोजन के लिए दी गई है उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

16. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की पुष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

17. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर, जिला-सिंगरौली एवं महान एल्यूमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट (हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा.

18. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कंपनी द्वारा पालन किया जायेगा.

19. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा.

20. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

21. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

22. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा.

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 20-09-2010 को हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिडेट की वृहद परियोजना, महान एल्यूमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट की तरफ से श्री देवव्रत बंगवास परियोजना प्रमुख (सी.पी.पी.) एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर जिला-सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला पुनर्वास अधिकारी.

हस्ता./-

(डी. बंगबाश)

परियोजना प्रमुख (सी.पी.पी.)

महान एल्यूमिनियम परियोजना

हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,

बरगवां, जिला-सिंगरौली 486886 (म. प्र.)

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 14th September 2010

No. B-3858-III-1-11-2010.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to designate Shri K.D. Khan, Principal Registrar (I & V) as Informaton Officer for the High Court of Madhya Pradesh in connection with creation of Institutional Data Bank of Information and Statistics.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
T. K. KAUSHAL, Registrar General.

Jabalpur, the 14th September 2010

No. B-3850-III-1-5-57-Ch. 23-B.—In exercise of powers conferred by Rule 505 of Madhya Pradesh Civil Court Rules 1961, the High Court of Madhya Pradesh is pleased to accord Special Sanction for enhancing the limit of cash amount in the hand of Head-copyist as under :—

(1) Amount in the hand of Head copyist at District Head Quarter- Rs. 5,000/-

(2) Amount in the hand of Copyist at outstations- Rs. 2,000/-

By order of Hon'ble the High court,
SUSHMA KHOSLA, Principal Registrar (J).

जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्र. E-3865-दो-3-61-2000.—श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 25 अगस्त से 1 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-3867-दो-2-29-2006.—श्रीमती केशर यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 16 से 23 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 अगस्त 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 24 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती केशर यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली मुख्यालय-बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती केशर यादव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-3870-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 9 से 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-3891-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 21 से 25 अगस्त 2010 तक पांच दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 26 से 27 अगस्त 2010 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-5151-दो-2-71-2007.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 21 नवम्बर 2007 से 30 अगस्त 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E-3872-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 18 से 21 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 22 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्र. C-5323-दो-2-49-2007.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 30 अगस्त से 1 सितम्बर 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 सितम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्र. C-5329-दो-2-27-2005.—श्री सुशील कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब, न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 1 से 4 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 5 सितम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. C-4872-दो-3-99-2000.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब, न्यायालय, भोपाल को दिनांक 13 से 17 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-4874-दो-2-123-2000.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब, न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 16 से 21 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2010 के एवं पश्चात में दिनांक 22 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-4876-दो-2-51-2010.—श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 8 नवम्बर 2007 से 16 अगस्त 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्र. E-3656-दो-2-53-2007.—श्री आर.के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब, न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 18 से 20 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्र. C-5310-दो-3-123-2000.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 23 जून से 4 जुलाई 2010 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 से 26 जुलाई 2010 तक बाईस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-5325-दो-3-23-2009.—श्री डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 30 अगस्त से 1 अगस्त 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 सितम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डॉ. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. C-5384-दो-3-117-2009.—श्री एच.पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 13 से 18 सितम्बर 2010 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 19 सितम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच.पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच.पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्र. E-3889-दो-3-102-2000.—श्री बी.डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 6 से 10 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 सितम्बर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी.डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी.डी. राठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2010

क्र. B-4011-दो-3-14-2005.—श्री जे.पी. गुप्ता, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 अगस्त से 10 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे.पी. गुप्ता, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे.पी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्र. E-4038-दो-2-13-2008.—श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 11 से 14 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-4041-दो-2-37-2005.—श्री आर.के. पाण्डे, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 8 से 14 अक्टूबर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 अक्टूबर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.के. पाण्डे, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.के. पाण्डे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्र. एफ 10-1-2010-दो-ए(3).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुदेश और निदेश देती है कि भारत की जनगणना, 2011 के संबंध में परिवार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए जनगणना अधिकारी अपनी नियुक्ति के स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित मदों के संबंध में सभी प्रश्न पूछ सकता है, नामतः :—

1. व्यक्ति का नाम
2. मुखिया से संबंध
3. लिंग
4. जन्मतिथि और आयु (पूर्ण हुए वर्षों में)
5. इस समय वैवाहिक स्थिति
6. विवाह के समय आयु (पूर्ण हुए वर्षों में)
7. धर्म
8. अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)
   (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नाम)
9. निः शक्तता
10. मातृभाषा
11. अन्य भाषाओं का ज्ञान
12. साक्षरता की स्थिति
13. शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने की स्थिति
14. प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर
15. कर्मी और गैर-कर्मी की विशेषताएं—क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय काम किया (दीर्घकालिक, अल्पकालिक और गैर-कर्मी के लिए).
16. आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी
17. व्यवसाय
18. उद्योग, व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप
19. कर्मी का वर्ग
20. गैर-आर्थिक कार्यकलाप (अल्पकालिक और गैर-कर्मी के लिए)
21. काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध (अल्पकालिक और गैर-कर्मी के लिए)
22. कार्यस्थल तक की यात्रा
23. स्थान परिवर्तन की विशेषताएं—जन्म स्थान
24. पूर्व निवास स्थान
25. स्थान परिवर्तन का कारण
26. स्थान परिवर्तन के पश्चात् गांव/नगर में निवास की अवधि
27. प्रजननता विवरण—जीवित बच्चे (केवल इस समय विवाहित, विधवा, तलाकशुदा अथवा संबंध विच्छेदित महिला के लिए).
28 कभी भी पैदा हुआ बच्चा (केवल इस समय विवाहित, विधवा, तलाकशुदा अथवा संबंध विच्छेदित महिला के लिए).
29. पिछले एक वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल इस समय विवाहित महिला के लिए).

No. F. 10--1-2010-II-A (3).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the State Government hereby instructs and directs that the Census Officer may ask all such questions of all persons within the limits of the local area for which he is appointed, for collecting information through the Household Schedule in connection with the Census of India 2011, on the items enumerated below, namely :—

1. Name of the person
2. Relationship to head
3. Sex
4. Date of birth and age (in completed years)
5. Current marital status
6. Age at marriage (in completed years)
7. Religion
8. Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST) (name of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe)
9. Disability
10. Mother Tongue
11. Other languages known
12. Literacy status
13. Status of attendance in educational institution
14. Highest educational level attained
15. Characteristics of workers and non-workers-Worked any time during last year (for main, marginal and non-workers)
16. Category of economic activity
17. Occupation'
18. Nature of industry, trade or service
19. Class of worker
20. Non-economic activity (for marginal and non-worker)
21. Seeking or available for work (for marginal and non-worker)
22. Travel to place of work
23. Migration characteristics - Birth place
24. Place of last residence
25. Reason for migration
26. Duration of stay in the village/town since migration
27. Fertility particulars-Children surviving (for currently married, widowed, divorced or separated women only)
28. Children ever born (for currently married, widowed, divorced or separated women only)
29. Number of children born alive during last one year (for currently married women only)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास दुबे, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्र. भसकमं-2010-2783.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 279 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में अधिसूचित समस्त योजनाओं में हितलाभ के स्वीकृति के अधिकार संबंधी प्रभावी सुसंगत कंडिकाओं में संशोधन कर क्षेत्रीय स्तर पर, एतद्द्वारा, यथा प्रत्यायोजित करता है, अर्थात् :—

1. निम्न सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित प्रभावशील योजनाओं में कॉलम (3) में दर्शाए गए अनुसार योजनाओं में अंकित स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के स्थान पर कॉलम (4) में दर्शाए गए स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को कॉलम (5) में अंकित निर्धारित सीमा तक के लिए स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं :—

सारणी

क्र.	योजना का नाम	योजनाओं में अंकित स्वीकृतकर्ता अधिकारी का क्षेत्राधिकार एवं पदनाम	योजनाओं में स्वीकृतकर्ता अधिकारी का संशोधन उपरांत क्षेत्राधिकार एवं पदनाम	स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रदत्त हितलाभ की स्वीकृति की निर्धारित सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	प्रसूति सहायता योजना, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना मेधावी छात्र-छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना विवाह हेतु सहायता योजना, चिकित्सा सहायता एवं दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना, मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना, आवास ऋण सहायता योजना, पेंशन सहायता योजना, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना	**शहरी क्षेत्र**—ऐसे शहर अथवा नगरीय क्षेत्र जहां श्रम कार्यालय हैं, वहां पदस्थ सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी. **अन्य शहरी क्षेत्रों में जहां श्रम कार्यालय नहीं हैं** वहां अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) **ग्रामीण क्षेत्र**—मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	**शहरी क्षेत्र**—ऐसे शहर अथवा नगरीय क्षेत्र जहां श्रम कार्यालय हैं, वहां पदस्थ प्राधिकृत श्रम विभागीय अधिकारी **अन्य शहरी क्षेत्रों में जहां श्रम कार्यालय नहीं हैं** वहां नगरीय निकाय के आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी **ग्रामीण क्षेत्र**—मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	सारणी के कॉलम (2) में अंकित सभी योजनाओं के अन्तर्गत देय हितलाभ की प्रावधानित राशि के लिए रु. 30 हजार की अधिकतम सीमा तक. शेष अधिकारी यथावत् रहेंगे.

यह अधिसूचना ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.

प्रभात दुबे, सचिव.